उत्तराखण्ड राज्य में मॉडल प्रिजन मैनुअल गठित किये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु अपर सचिव, गृह (कारागार) विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यलय कक्ष में आहूत बैठक दिनांक 17.09.2018 का कार्यवृत्त

उपस्थिति–

1. श्री रितेश कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव, न्याय/अपर विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री पी0बी0के0 प्रसाद, महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या–406/2013 'देश की 1382 कारागारों में अमानवीय दशा' में देश के सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अपना मॉडल प्रिजन मैनुअल बनाये जाने के आदेश दिये गये हैं। उत्तराखण्ड राज्य में मॉडल प्रिजन मैनुअल बनाये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–439/**XX**–4/2018–01(20)/2018, दिनांक 16.02.2018 द्वारा निम्नवत 03 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है :–

1. अपर सचिव, गृह (कारागार), उत्तराखण्ड शासन
2. अपर सचिव, न्याय/अपर विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन
3. महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून

उक्त समिति की बैठक दिनांक 17.09.2018 को सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्नवत् निर्णय लिये गये है :–

1. कारागार मुख्यालय एक माह के भीतर भारत सरकार के मॉडल प्रिजन मैनुअल के सम्यक् परीक्षण कर उत्तराखण्ड राज्य के परिदृश्य में उत्तराखण्ड मॉडल प्रिजन मैनुअल का ड्राफ्ट तैयार कर शासन को उपलब्ध करायेगा।
2. कारागार मुख्यालय द्वारा तैयार उत्तराखण्ड मॉडल प्रिजन मैनुअल उल्लिखित प्राविधान/प्रस्तरों एवं उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (उत्तराखण्ड यथाप्रवृत्त) के प्रस्तरों में दृष्टिगोचर भिन्नताओं का तुलनात्मक तालिकाबद्ध विवरण शासन को उपलब्ध करायेगा।
3. तद्क्रम में माह नवम्बर, 2018 के प्रथम सप्ताह में वर्णित समिति की बैठक पुनः आहूत कर प्रकरण में विचार–विमर्श किया जायेगा।

बिन्दु–1 व 2 की सूचना अनिवार्य रूप से कारागार मुख्यालय द्वारा दिनांक 31.10.2018 तक उपलब्ध करा दी जायेगी।

(उदयवीर सिंह यादव)
अपर सचिव।

संख्या–497/XX–4/2018–1(20)/2018, दिनांक सितम्बर, 2018

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर सचिव, न्याय/अपर विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Akhilesh
(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव।